प्रेस विज्ञप्ति

27 जून 2014 को 182 करोड रूपये के आस्थगित कर दायित्व के सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों पर बिनानी सीमेंट द्वारा स्पष्टीकरण

मुम्बई-28 जून 2014। संचार माध्यमों में 27 जून 2014 को प्रकाशित समाचारों के सम्बन्ध में बिनानी सीमेंट स्थिति को स्पष्ट करना चाहता है।

बिनानी सीमेंट सदैव राज्य सरकार को अपने कर दायित्वों का भुगतान करने के लिए कटिबद्ध रहा है।कम्पनी द्वार कर दायित्वों के भुगतान में कभी कोई चूक नहीं की गई है। कम्पनी द्वारा 633 करोड रूपये का योग्य स्थाई पूंजी निवेश किया गया था, जिसके विरूद्ध कम्पनी 488 करोड रूपये की राशि का आस्थगन प्राप्त करने की पात्र थी। कम्पनी द्वारा 457 करोड रूपये की राशि का आस्थगन लाभ प्राप्त करने के उपरान्त स्वयमेव ही योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करना बन्द कर दिया गया।

राज्य स्तरीय छानबीन समिति (SLSC) द्वारा कम्पनी को केवल 280 करोड रूपये की राशि का ही आस्थगन अनुमोदित किया गया। इस प्रकार कम्पनी द्वारा आस्थगन राशि के रूप में प्राप्त की गयी 177 करोड रूपये की राशि राज्य सरकार को देय है।

प्रकरण फरवरी 2013 में अन्तिम निस्तारण से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा 173 करोड रूपये की राशि का मांग पत्र जारी किया गया। कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 38 एवं राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 की धारा 26 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राशि किश्तों में भुगतान करने की सुविधा देने की प्रार्थना की गई।

कम्पनी द्वारा कम्पनी की बकाया राशि किश्तों में भुगतान करने के प्रार्थना पत्र को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को देने हेतु एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण

07.04.2014 को किया गया। अपने उपरोक्त आदेश में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा सम्पूर्ण राशि का 50 प्रतिशत एकमुश्त एवं शेष राशि 10 समान किश्तों में भुगतान किये जाने का आदेश पारित किया गया।

कम्पनी द्वारा उपरोक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। कम्पनी के अनुसार विभाग द्वारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की उपेक्षा की जाकर अपना निर्णय असम्बद्ध तथ्यों के आधार पर पारित किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनांक 22.05.2014 को कम्पनी की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुऐ निम्न आदेश पारित किया गया :-

- कम्पनी द्वारा 50 करोड रूपये की राशि 30 जून 2014 तक जमा कराई जावे।
- शेष राशि 12 समान किश्तों में जमा कराई जावे।

कम्पनी सदैव अपनी कर देयता को चुकाने के लिए प्रतिबद्ध रही है। कम्पनी द्वारा केवल विधि सम्मत रूप से उपरोक्त राशि को किश्तों में चुकाने की प्रार्थना की गई थी। वास्तव में कम्पनी द्वारा मार्च 2013 से ही राशि का मासिक रूप से भुगतान प्रारम्भ कर दिया गया था तथा किश्तों में भुगतान का प्रार्थना पत्र विभाग के समक्ष लम्बित रहते हुऐ भी लगभग 20 करोड रूपये की राशि का भुगतान किया जा चुका था। कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.05.2014 की पालना में वचन पत्र (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत कर उपरोक्त कर देयता के भुगतान के प्रति प्रतिबद्ध रही है तथा कम्पनी द्वारा कभी भी उपरोक्त राशि के सम्बन्ध में उपेक्षा प्रदर्शित नहीं की गई है।

उपरोक्त वचन पत्र की पालना में एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कम्पनी द्वारा 50 करोड रूपये की राशि जमा करा दी गई है। इस प्रकार कम्पनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश की पालना की गई है। कम्पनी द्वारा अब तक लगभग 70 करोड रूपये की राशि जमा कराई जा चुकी है। कम्पनी शेष राशि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशानुसार जमा कराने को कटिबद्ध है।

कम्पनी द्वारा वचन पत्र प्रस्तुत करने एवं भुगतान प्रारम्भ करने के उपरान्त भी राज्य सरकार एवं वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 22.05.2014 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। माननीय खण्डपीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.06.2014 द्वारा माननीय एकल पीठ के निर्णय दिनांक 22.05.2014 को स्थगित कर दिया तथा प्रकरण में अन्तिम निर्णय हेतु 04.07.2014 की तिथि निर्धारित की गई।

कम्पनी द्वारा उपरोक्त अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 12.06.2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई। चूंकि मुख्य अपील में निर्णय हेतु 04.07.2014 की तिथि निर्धारित थी, अतः कम्पनी द्वारा उपरोक्त याचिका पर ज़ोर नहीं दिया गया। अब प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा अन्तिम रूप से सुन जावेगा तथा सभी बिन्दुओं पर विचार कर उचित निर्णय पारित किया जावेगा।

कम्पनी पुनः यह स्पष्ट करना चाहती है कि कम्पनी अपनी पूर्ण कर देयता के भुगतान हेतु प्रतिबद्ध है। कम्पनी अपनी कर देयता में कोई चूक नहीं करना चाहती है। कम्पनी आर्थिक कठिनाईयों के चलते केवल वर्तमान प्रावधानों के अनुसार राशि को किश्तों में भुगतान करने की अनुमति चाहती है। कम्पनी द्वारा अपनी कर देयता स्वीकार करने एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार भुगतान करने के उपरान्त भी राज्य सरकार द्वारा दबाव बनाये जाने से कम्पनी के परिचालन में कठिनाईयां उत्पन्न होंगीं। आगत मूल्यों में वृद्धि एवं सीमेंट के उठाव में कमी से कम्पनी का परिचालन कुप्रभावित होना संभावित है। कम्पनी अपनी कर देयता के प्रति पुनः प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है।